

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नवरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

रजस्थान लिटिली कौन्सिल आवासीय प्रशासनिक

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 796 दिनांक 04/12/2020

प्राधीगाछ 1 राजेश कुमार एवं 2 श्रीमती मंजुलता

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 1-66-4 मधुवन हाउसिंग कोड

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8342/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/3911, 3912

दिनांक 04/12/2020 को जमा करा दी है ।

04/12/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर



RAJESH KUMAR YADAV

mob: 9352367003

जी+1
आवासीय